उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 107/2019/2166/छप्पन-2019-06/2013

लखनऊ, दिनांक: 14 नवम्बर, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन इकाई एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2117/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को व्याख्याता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/- (रूपए इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा सेवा अवधि बढ़ायी गई। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-140/2018/2198/छप्पन-2018-06/2013, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2019 से आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गयी थी, जो दिनांक 06 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही है।

2- अत: निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 30 सितम्बर, 2019 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, व्याख्याता (विद्युत) के पद पर श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2020 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 06 जनवरी, 2021 तक) के लिए वर्तमान में नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 64,017/- (रूपए चौसठ हजार सत्रह मात्र) एवं अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (यथा समय) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

4- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी,
व्याख्याता (विद्युत),
एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0 संख्या: 107/2019/2166(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, व्याख्याता (विद्युत) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. उप महालेखाकार(आर्थिक एव राजस्व लेखा परीक्षा) , उ0प्र0, ई0 एस0-111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी0-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. कार्मिक अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।